भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1170

(दिनांक 28.06.2019 को उत्तर देने के लिए)

2014 में सैम पित्रोदा समिति

1170. श्री सैयद इम्तियाज जलीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्रसार भारती संबंधी सैम पित्रोदा के नेतृत्व वाले विशेषज्ञ पैनल, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में सौपी थी को अनुशंसाओं की जानकारी है;

(ख) समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन अनुशंसाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति के अनुशंसाओं के अनुरूप प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की जनशक्ति और अन्य लेखा परीक्षा आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यवाही को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन को और अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग): सैम पित्रोदा समिति ने अभिशासन, मानव संसाधन, विषय-वस्तु, प्रौद्योगिकी आदि जैसे मामलों पर दिनांक 24.01.2014 की अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें की थीं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा की गई कार्रवाई संबंधी एक रिपोर्ट (एटीआर) को अंतिम रूप प्रदान किया गया। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

...जारी...

(घ): प्रसार भारती की श्रमशक्ति लेखापरीक्षा संपन्न करने हेतु नवंबर, 2018 में 15 माह की समय-सीमा के साथ एक संविदा प्रदान की गई।

(ङ): प्रसार भारती ने डिजिटल स्थलीय ट्रांसमीटरों (डीटीटी), डीडी फ्री डिश पर चैनलों की ई-नीलामी, समाचारों, स्व-निर्मित विषय-वस्तु तथा अभिलेखीय विषय-वस्तु के डिजिटल मौद्रीकरण सहित वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं।

*****